01/6/26

पत्रावली आदेश निर्णय पेश हुई प्रकरण वादी उपरान्त वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर है। विस्तृत निर्णय शामिल किया गया पारित डिक्री जारी हो नियम से अमल हो।

आदेश सुनाया गया

GCMS
2024/31

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ जिला–श्रीगंगानगर

चेतराम आदि बनाम गुड्डी वगैरा

किस्म मुकदमाः–53 आरटीए प्रकरण संख्याः–09/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01.06.26	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार से है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि वाके चक 28 पीबीएन–ए की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 140/113 की 9.867 हैक्टर नहरी मय गै.मु. रास्ता व खाला एवं इसी चक के खाता संख्या 139/114 की 2.896 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज रिकार्ड है। सभी काश्तकारी अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। वादीगण ने प्रतिवादीगण को कब्जा काश्त अनुसार खाता विभाजन करने को कहा तो वे इन्कारी हो गये। अतः दावा स्वीकार कर खाता विभाजन करने का निवेदन किया। दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या–1 ता 7 बावजुद समन उपस्थित नही आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। वादी संख्या–4 द्वारा उपस्थित होकर बयान शपथ पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादीगण की एकतरफा होने से जिरह शून्य रही है। बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र को दोहराते निवेदन किया गया वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता की खातेदारी भूमि वाके चक 28 पीबीएन–ए की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 140/113 की 9.867 हैक्टर नहरी मय गै. मु. रास्ता व खाला एवं इसी चक के खाता संख्या 139/114 की 2.896 हैक्टर नहरी भूमि दर्ज रिकार्ड है। सहमति अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहे हे। अतः खाता विभाजन किया जावे। वकील वादीगण की बहस सुनी जाकर पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड वाके चक 28 पीबीएन–ए की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 140/113 की 9.867 हैक्टर नहरी मय गै.मु. रास्ता व खाला एवं इसी चक के खाता संख्या 139/114 की 2.896 हैक्टर नहरी भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के नाम से संयुक्त खाता में दर्ज है। वादीगण, वाद पत्र की मद संख्या–4 अनुसार अपना खाता विभाजन करवाना चाहते है। इसलिये संयुक्त खाता की भूमि का वादीगण व प्रतिवादीग–1 ता 5 के मध्य जमाबन्दी में उनके अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ता, खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए खाता विभाजन हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया जाकर खाता विभाजन किया जाना हम उचित समझते है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 28 पीबीएन–ए की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 140/113 की 9.867 हैक्टर नहरी मय गै.मु. रास्ता व खाला एवं इसी चक के खाता संख्या 139/114 की 2.896 हैक्टर नहरी भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 के मध्य विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ता, खाला को ध्यान में रखते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसीलदार सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार मात्र वादीगण द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ता, खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व मण्डल की राजस्व नियमावली अनुसार तैयार कर 15 दिवस में नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें। प्राथमिक डिक्री जारी हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर पक्षकारान द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में ली जावे। निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (भरत जयप्रकाश मीना)आई.ए.एस. सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)	

(ओ021 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

–:: <u>परचा डिक्री</u>::–

<u>न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर</u>

(बइजलास :–भरत जयप्रकाश मीना, आई.ए.एस.)

–:: <u>अनवान</u> ::–

1. चेतराम
2. सहीराम
3. मनफूलराम
4. श्योपतराम
5. जसराम

पिसरान खीयांराम जाति जाट साकिन 28 पीबीएन–ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. गुड्डी पत्नी धनराज जाति जाट साकिन 26 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)
2. इन्द्राज
3. जैता
4. रोहिताश
5. सुमन

पुत्रगण/पुत्रीयां धनराज अकवाम जाट साकिनान 26 पीबीएन तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

6. प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा सूरतगढ़
7. प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सूरतगढ़
8. तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र धारा–53 आर.टी.एक्ट मुकदमा नं. 09 वर्ष 2024 (GCMS No. 2024/31) यह मुकदमा वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे हाजरी वकील वादी श्री सुभाषचन्द्र बिश्नोई व पैरोकार राज के हाजिर होने पर हुक्म दिया जाता है व डिक्री जारी की जाती है कि:–

वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादाधीन भूमि वाके चक 28 पीबीएन–ए की जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 के खाता संख्या 140/113 की 9.867 हैक्टर नहरी मय गै.मु. रास्ता व खाला एवं इसी चक के खाता संख्या 139/114 की 2.896 हैक्टर नहरी भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या–1 ता 5 के मध्य विभाजन जमाबन्दी में अंकित हिस्सा एवं मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ता, खाला को ध्यान में रखते हुए मौका पर जाकर खाता विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार सूरतगढ़ को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। मौका कमिश्नर तहसीलदार सूरतगढ़ को कमिश्नर फीस रूपये 1000/– एक हजार मात्र वादीगण द्वारा दी जावेगी। तहसीलदार सूरतगढ़ विभाजन प्रस्ताव जमाबन्दी में अंकित हिस्सा व मौका पर कब्जा काश्त एवं रास्ता, खाला की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व मण्डल की राजस्व नियमावली अनुसार तैयार कर 15 दिवस में नक्शा एवं वर्तमान जमाबन्दी सहित प्रस्तुत करें।

नोज.....x.....मुबलिग.....x.....बाबत.....x.....खर्चा इस मुकदमें मे मय सूद बशरह.....x.....फस्दों की पालना.....x.....आज की तारीख से तारीख वसूलया वो तक की अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 01/06/2026 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ

(भरत जय प्रकाश मीना) I.A.S.
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)